

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाक्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

इन्द्रो बाई आदि बनाम अवतार सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188 आरटीए मुकदमा नं. 35/2007
निर्णय दिनांक :- 30.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर सिंह सैनी, व प्रतिवादीगण
अधिवक्ता मनजीत कचूरा पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -
वादीगण वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
शर्त-शर्तों साबित होने पर स्वीकार किया जाकर चक 15 एस, पटवार हल्का 14 एस, भू.अ.
वि. क्षेत्र नम्बो, जमाबन्दी सम्वत 2060 ता 63 के खाता संख्या 162/158 के मुरब्बा नम्बर
52 के किला नम्बर 1 ता 25 में हासू सिंह पुत्र धुमा सिंह कौम रायसिख सा. 14 एस के
नम वर्ज 6-200 हेक्टेयर नहरी भूमि में से वादी संख्या 2 ता 7 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
के साथ बहिस्ता बराबर का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है, व उक्त
खाते में वादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 रहन, बैय, किसी
अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे। इस खाते के शेष अंकन व रहन
बननुर रहेने। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 30.03.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
जू से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ह्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	04	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर
दिनांक: 30.03.2022

रॉडर/ 2022/163

तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार
पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर